न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सॉगोद जिला कोटा।
बइजलास राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 १८२ /2023 दावा/बउनवान/निरंजन शर्मा वगैरा/सीताराम वगैरा

1. निरंजन शर्मा आयु 15 साल पुत्र श्री सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम डाबरीकलां तहसील सांगोद जिला कोटा नाबालिग की वली माता श्रीमती विमलाबाई आयु 48 साल पत्नी श्री सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा,
2. श्रीमती विमलाबाई आयु 48 साल पत्नी श्री सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा। —वादीगण—

—बनाम—

1. सीताराम पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम डाबरीकलां तहसील सांगोद जिला कोटा,
2. राज्य सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार साहब सॉगोद जिला कोटा। —प्रतिवादीगण—

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

——:: निर्णय ::—— दिनॉक :— 11.02.2023

वादीगण ने इस न्यायालय में एक वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी क्रं. 1 वादी क्रं. 1 का पिता व वादी क्रं. 2 का पति है तथा वादीगण व प्रतिवादी क्रं. 1 को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त खसरा नंबर 1725/1243 रकबा 0.88 हैक्टर, खसरा नंबर 1727/657 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नंबर 658 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नंबर 697 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नंबर 698 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नंबर 699 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नंबर 700 रकबा 0.17 हैक्टर कुल किता 7 की कुल 3.15 हैक्टर पुश्तैनी आराजी वाके ग्राम डाबरीकलां तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है। उपरोक्त सम्पत्ति पक्षकारान की पुश्तैनी आराजी जो पक्षकारान को वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार अर्थात् वादी क्रं. 1 के दादाजी स्व.लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री देवलाल जी से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है जिसमें वादी क्रं. 1 को जन्म से ही हक अधिकार हांसिल है किन्तु प्रतिवादी क्रं. 1 जो कि बदखर्च इंसान है जिसने अपनी बदखर्ची के लिए इधर—उधर से काफी कर्जा किया हुआ है जो अपने नाजायज शौकों की पूर्ति के लिए वादग्रस्त

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सॉगोद, जिला- कोटा

सम्पूर्ण आराजी को बेचने को आमादा है। वादग्रस्त आराजी को वादीगण व प्रतिवादी कं. 1 मौके पर संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं किन्तु दिनांक 16.01.2023 को दो अज्ञात व्यक्ति वादग्रस्त आराजी पर आये और उन्होने वादीगण से कहा कि सीताराम की जमीन कहां पर हैं, उसने हमें जमीन खरीदने के लिए बुलाया है तो वादीगण को प्रथम बार इल्म हुआ कि प्रतिवादी कं. 1 राजस्व रिकार्ड में स्वयं का नाम अंकित होने का नाजायज फायदा उठाकर सम्पूण वादग्रस्त आराजी अजनबी व्यक्तियों को बेचने को आमादा है। उक्त संबंध में वादीगण द्वारा उसी दिन प्रतिवादी कं. 1 से आराजी विकय नहीं करने व वादीगण के हिस्से की भूमि वादीगण के खाते दर्ज करवाने के लिए मौखिक निवेदन किया तो प्रतिवादी कं. 1 ने वादीगण का नाम खाते में दर्ज करवाने से इन्कार कर दिया और वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी को शिघ्र ही खुर्दबुर्द, बैचान करने की धमकी दी जिसमें यदि प्रतिवादी कं. 1 सफल हो जाता है तो वादीगण के भूखों मरने व रोड पर आने की नौबत आ जायेगी जिससे वादीगण को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी। ऐसी स्थिति में वादीगण के लिए माननीय न्यायालय में अपने अधिकारों की घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादकारण दिनांक 16.01.2023 को प्रतिवादी कं. 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी में स्वयं के नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी को बैचान, खुर्दबुर्द करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। भूमिधारी होने से लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉगोद को प्रतिवादी कं. 2 की हैसियत से पक्षकार बनाया गया है। अतः माल ग्राम डाबरीकलां तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 1725/1243 रकबा 0.88 हैक्टर, खसरा नंबर 1727/657 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नंबर 658 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नंबर 697 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नंबर 698 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नंबर 699 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नंबर 700 रकबा 0.17 हैक्टर कुल किता 7 की कुल 3.15 हैक्टर पुश्तैनी आराजी का वादीगण व प्रतिवादी कं. 1 को समभाग में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादी कं. 1 राजस्व रिकार्ड में स्वयं का नाम अंकित होने का फायदा उठाकर उक्त आराजी को किसी प्रकार से खुर्दबुर्द, रहन, दान, बैचान, हस्तान्तरण इत्यादि नहीं करें। वादीगण को संयुक्त कब्जेकाश्त से बेदखल नहीं करें। उक्त कृत्य न तो प्रतिवादी कं. 1 स्वयं करें, न ही अपने नौकरों, एजेन्टों अथवा अन्य व्यक्तियों से करावें।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सॉगोद, जिला- कोटा

वादीगण की ओर से उपरोक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी वादीगण व प्रतिवादी क्रं. 1 की ओर ने राजीनामा प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा वादपत्र डिक्री करने का निवेदन किया। राजीनामा पक्षकारान तस्दीक किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेजात, राजीनामा पक्षकारान के अनुसार दावा वादीगण स्वीकार करना उचित समझता हूं।

अतः दावा वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर माल ग्राम डाबरीकलां तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 1725/1243 रकबा 0.88 हैक्टर, खसरा नंबर 1727/657 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नंबर 658 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नंबर 697 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नंबर 698 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नंबर 699 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नंबर 700 रकबा 0.17 हैक्टर कुल किता 7 की कुल 3.15 हैक्टर पुश्तैनी आराजी का वादीगण व प्रतिवादी क्रं. 1 को समभाग में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बैंक चार्ज प्रथम होने से रहनभार यथावत रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार अन्तिम डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनॉक 11.02.2023 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश डागा)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद, जिला कोटा
सॉगोद

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा
बइजलास – राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 182 /2023 दावा/बउनवान/निरंजन शर्मा वगैरा/सीताराम वगैरा

1. निरंजन शर्मा आयु 15 साल पुत्र श्री सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम डाबरीकलां तहसील सांगोद जिला कोटा नाबालिग की वली माता श्रीमती विमलाबाई आयु 48 साल पत्नी श्री सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा,
2. श्रीमती विमलाबाई आयु 48 साल पत्नी श्री सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

—वादीगण—

—बनाम—

1. सीताराम पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम डाबरीकलां तहसील सांगोद जिला कोटा,
2. राज्य सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार साहब सॉगोद जिला कोटा।

—प्रतिवादीगण—

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0 टी0 एक्ट, मि.नं. 182 /2023

तारीख फैसला दिनांक 11.02.2023 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....बहाजरी वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि ... **दावा वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर माल ग्राम डाबरीकलां तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 1725/1243 रकबा 0.88 हैक्टर, खसरा नंबर 1727/657 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नंबर 658 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नंबर 697 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नंबर 698 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नंबर 699 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नंबर 700 रकबा 0.17 हैक्टर कुल किता 7 की कुल 3.15 हैक्टर पुश्तैनी आराजी का वादीगण व प्रतिवादी कं. 1 को समभाग में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बैंक चार्ज प्रथम होने से रहनभार यथावत रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।**

निज ———— मुबलिग ———— बाबत ———— खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह ———— फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ———— का अदा करे। सब मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज तारीख 11.02.2023 को जारी की गई।

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सॉगोद, जिला कोटा

मुदई	रूपया	पैसै	मुददायलह	रूपया	पैसै
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सॉगोद, जिला कोटा